

संविदा पर UDID (Unique ID for Persons with Disability) परियोजना
हेतु राज्य समन्वयक के एक पद हेतु विज्ञप्ति

प्रदेश में दिव्यांगों हेतु विशेष पहचान पत्र यूडीआईडी (Unique ID for Persons with Disability) परियोजना हेतु राज्य समन्वयक (पूर्णतया संविदा पर) के रूप में 01 पद जो कि भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नई दिल्ली के अन्तर्गत है, हेतु आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन दिनांक 16 जून, 2018 की साथं 5-00 बजे तक E-Mail udidswduk@gmail.com पर निर्धारित प्रारूप पर On line किये जा सकते हैं।

राज्य समन्वयक पद हेतु आवश्यक योग्यता निम्नानुसार होगी –

शैक्षिक योग्यता—

- (क) स्नातक के साथ डिप्लोमा/सर्टिफिकेट/ कम्प्यूटर साईंस में कोर्स/मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटी/कम्प्यूटर साईंस में स्नातक।
- (ख) 40 प्रतिशत या इससे अधिक लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।
- (ग) ऐसे व्यक्ति जिन्हें सूचना तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो अथवा कम्प्यूटर में किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने का अनुभव हो, को भी वरीयता दी जायेगी।
- (घ) उच्च शैक्षिक योग्यता रखने वाले व प्रतिष्ठित संस्थानों से डिग्री प्राप्त व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।

आयु सीमा—

आवेदक की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

भाषा—

आवेदक को अंग्रेजी व हिन्दी भाषा में निपुण होना चाहिए।

वेतन—

राज्य समन्वयक को ₹ 50,000/- (रु० पचास हजार मात्र) प्रतिमाह एकमुस्त (Lumpsum) वेतन के रूप में दिया जाएगा।

साक्षात्कार—

साक्षात्कार हेतु Scrutiny के उपरान्त Short list आवेदन कर्ताओं को उनके द्वारा दी गयी E-mail ID पर तिथि, समय, व स्थान की सूचना प्रेषित की जायेगी। पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी। साक्षात्कार के समय आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र की हस्ताक्षरित प्रति, मूल शैक्षिक प्रमाण—पत्र व उनकी छायाप्रति के साथ ही 02 Photographs भी साथ लाने होंगे। साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का टी०ए० व डी०ए० अनुमन्य नहीं होगा।

राज्य समन्वयक के कार्य एवं जिम्मेदारियाँ—

- 1- परियोजना के क्रियान्वयन में विभाग में यूडीआईडी परियोजना के राज्य के सभी सम्बन्धित विभाग और परियोजना प्रबन्धन ईकाई यूडीआईडी के साथ समन्वय।
- 2- परियोजना प्रगति की निगरानी, परियोजना हेतु तथ समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित कराना व राज्य में परियोजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का निस्तारण करना।
- 3- राज्य में प्रत्येक गॉव/ब्लॉक/जिले से डेटा/सूचना एकत्र कर उनका विश्लेषण कर परियोजना की स्थिति रिपोर्ट तैयार कर शासन/निदेशक समाज कल्याण/सहायक निदेशक, समाज कल्याण(राज्य नोडल अधिकारी) को प्रेषित करना तथा भारत सरकार को प्रेषित करना।
- 4- राज्य सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के नामांकन/मूल्यांकन हेतु शिवरों में जिला प्रशासन से समन्वय करते हुए इस कार्य में सहयोग प्रदान करना।
- 5- परियोजना से सम्बन्धित विशेष/महत्वपूर्ण बिन्दुओं का आंकलन करना व उनके सम्बन्ध में राज्य स्तर पर राज्य नोडल अधिकारी और केन्द्र स्तर पर समन्वय स्थापित करना।
- 6- यूडीआईडी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य द्वारा उन्हें सौंपे गये कोई अन्य कर्तव्यों/जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
- 7- राज्य समन्वयक, निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड को रिपोर्ट करेंगे। राज्य समन्वयक की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी (100 प्रतिशत भागीदारी)।

नोट-

परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप बिना कारण बताये विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड के पास सुरक्षित होगा।

आवेदन—पत्र का प्रारूप

- | | | |
|-----|---|---|
| 1- | आवेदक का नाम | - |
| 2- | पिता/पति का नाम | - |
| 3- | पूरा पता | - |
| 4- | जन्मतिथि | - |
| 5- | आवेदन के समय आयु | - |
| 6- | शैक्षिक योग्यता | - |
| 7- | तकनीकी योग्यता | - |
| 8- | अभ्यर्थी दिव्यांग होने की स्थिति में दियांगता का प्रतिशत एवं प्रकार - | |
| 9- | किसी प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने का अनुभव - | |
| (क) | संस्थान का नाम व पता - | |
| (ख) | कार्य करने की अवधि - | |
| (ग) | जिस पद पर कार्य किया हो, उसका पदनाम- | |
| 10- | मो० नम्बर | - |
| 11- | ई—मेल | - |

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट-

समस्त प्रमाण—पत्रों की स्व हस्ताक्षरित छायाप्रति आवेदन—पत्र के साथ संलग्नकर ई—मेल से प्रेषित करें।